श्रवणलाल बनाम ग्रा.पं. कपुरावाला
66/23

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|---|---|
| 4/5/24 | पत्रावली पेश हुई। पीठा[illegible] अन्य राज[illegible] अतः पत्रावली [illegible]नुसार दिनांक 30/5/24 को पेश हो। |
| 30/5/24 | पत्रावली पेश हु[illegible] पाइब अन्य राज्य [illegible]। अतः पत्रावली मुताबु[illegible] 18/7/24 को पेश हो। |
| 18/7/24 | पत्रावली पेश हुई वकील अपीलार्थी/प्रार्थी [illegible] उपस्थित [illegible] कार्यवाही [illegible] पत्रावली वास्ते बहस अपील दिनांक 26/7/24 [illegible] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर) |
| 26/7/24 | पत्रावली पेश हुई वकील अपीलार्थी [illegible] उपस्थित बहस अपीलार्थी [illegible] सुनी गई अपील [illegible] अपील स्वीकार [illegible] पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर) |

Pr by Adv. Manoj [illegible]

28/07/23 15:35

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय जिला जयपुर**

अपील संख्या 66/2023 16/8/23

श्रवणलाल पुत्र श्री रोडुराम जाति खाती निवासी ग्राम महासिंहपुरा उर्फ कपुरावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर ........ अपीलार्थी

बनाम

1 ग्राम पचांयत कपुरावाला जरिये सरपंच ग्राम पचांयत मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर

2 रामस्वरूप शर्मा पुत्र श्री रामनारायण शर्मा आयु 48 वर्ष जाति बागडा ब्राहमण निवासी 34 ग्राम किशनपुरा उर्फ खातीपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर

रेस्पाडेन्टेस

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत कपुरावाला पंचायत समिति सांगानेर नामान्तकरण सख्या 619 दिनांक 14/02/2020**

श्रीमानजी,

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का की रिर्पोट की मुताबिक विकय पत्र दिनांक 4/2/2020 पुस्तक सख्या 1 जिल्द सख्या 538 के पृष्ठ सख्या 37 क्रम सख्या 202003022100803 पर पंजीबद्व किया गया। उप पंजीयक अष्टम (पंजीयन एवं मुंद्राक विभाग) मानसरोवर के नामान्तकरण दर्ज कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर पेश हस्ताक्षर पटवारी दिनांक 14/2/2020। तुलना की गई अंकन दुरूस्त है। हस्ताक्षर गिरदावर दिनांक 12/3/2020 नामान्तकरण स्वीकार है हस्ताक्षर सरपंच मंजू शर्मा। ग्राम पंचायत कपुरावाला जिससे व्यथित होकर प्रथम अपील निम्न प्रकार प्रस्तुत है कि :–

1 यह कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याया के नैसर्गिक सिद्वान्तो के विपरीत होने के कारण काबिले खारिज है।

श्रवण लाल शर्मा

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:39:21 IST
Reason: SelfAttested

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
अपील प्रार्थना पत्र : 06 / 2023
निर्णय दिनांक : ..................

1 श्रवणलाल पुत्र श्री रोडूराम (जाति भूमि स्वामी महासिंहपुरा उर्फ कपूरावाला तहसील सांगनेर जिला जयपुर। — अपीलार्थी

बनाम

1 ग्राम पचांयत कपुरावाला जरिये सरपंच ग्राम पचांयत मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर
2 रामस्वरूप शर्मा पुत्र श्री रामनारायण शर्मा आयु 48 वर्ष जाति बागडा ब्राहमण निवासी 34 ग्राम किशनपुरा उर्फ खातीपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर — रेस्पाडेन्टेस

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत कपुरावाला पंचायत समिति सांगानेर नामान्तकरण सख्या 619 दिनांक 14 / 02 / 2020**

**निर्णय**

अपीलार्थी की ओर से पेश अपील का विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का की रिर्पोट की मुताबिक विकय पत्र दिनांक 4 / 2 / 2020 पुस्तक सख्या 1 जिल्द सख्या 538 के पृष्ठ सख्या 37 कम सख्या 202003022100803 पर पंजीबद्ध किया गया। उप पंजीयक अष्टम (पंजीयन एवं मुंद्राक विभाग) मानसरोवर के नामान्तकरण दर्ज कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर पेश हस्ताक्षर पटवारी दिनांक 14 / 2 / 2020। तुलना की गई अंकन दुरूस्त है। हस्ताक्षर गिरदावर दिनांक 12 / 3 / 2020 नामान्तकरण स्वीकार है हस्ताक्षर सरपंच मंजू शर्मा। ग्राम पंचायत कपुरावाला जिससे व्यथित होकर प्रथम अपील निम्न प्रकार प्रस्तुत है कि :–अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याया के नैसर्गिक सिद्वान्तो के विपरीत होने के कारण काबिले खारिज है।

अपीलार्थी ने दिनांक 29 / 1 / 2020 को आराजी कृषि भूमि खसरा न० 522 रकबा 0.35 हैक्टेयर वाके ग्राम महासिंहपुरा उर्फ कपुरावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे से दक्षिणी दिशा का हिस्सा 2514 / 3500 भाग अर्थात 0.2514 हैक्टेयर भूमि कुल मुवलिक 20,00,000 / – रूपये अक्षरे बीस लाख रूपये मात्र मे रेस्पोडेन्ट सख्या दो को विकय किया। जो उप पंजीयक जयपुर अष्टम के यहा दिनांक 04 / 02 / 2020 को पुस्तक सख्या 1 जिल्द सख्या 538 के पृष्ठ सख्या 37 कम सख्या 202003022100803 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक सख्या 1 जिल्द सख्या 2149 के पृष्ठ [illegible] किया गया। रेस्पोडेन्ट सख्या दो ने अपीलार्थी को उक्त आराजी [illegible] विक्रय प्रतिफल के रूप मे चार चैक कमशः चैक न० [illegible] रूपये दिनांक [illegible] / – रूपये दिनांक 30 / 3 / 2020, चैक न० 035997 राशि 5,00,000 / – रूपये दिनांक 15 / 4 / 2020, चैक न० 035998 राशि 5,00,[illegible] / – रूपये दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:39:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

15/5/2020, चैक न0 035999 राशि 5,00,000/- रूपये दिनांक 30/5/2020 बैंक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा मुहाना के अपने हस्ताक्षर कर के दिये तथा उक्त चैको का विवरण विक्रय पत्र मे उल्लेखित किया था। रेस्पोडेन्ट सख्या दो के द्वारा विक्रय पत्र के प्रतिफल के पेटे दिये गये चैक न० 035996 व चैक न० 035999 दिनांक 9/6/2020 को रिमार्क अनसफिसियन्ट फण्ड के साथ अनादरित हो गये तथा चैक न0 035997 व चैक न0 035998 को दिनांक 19/6/2020 को रिमार्क अनसफिसियन्ट फण्ड के साथ अनादरित होकर हो गये। इस प्रकार विक्रय प्रतिफल के पेटे दिये गये सभी चैक अनादरित हो गये। तथा अपीलार्थी को विक्रय प्रतिफल की कोई भी राशि प्राप्त नही हुयी है। प्रतिफल विहीन विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट सख्या दो के द्वारा फर्जीकारी कर करवाये जाने पर अपीलार्थी ने उक्त आराजीयात का कब्जा रेस्पोडेन्ट सख्या दो को सुपुर्द नही किया। तथा उक्त आराजीयात पर कब्जा भी आज तक अपीलार्थी का चला आ रहा है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने कब्जे के सम्बन्ध मे जांच किये बिना ही अपना निर्णय पारित कर दिया है जो चलने योग्य नही है काबिले खारिज है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय करते समय कब्जे के सम्बन्ध मे पटवारी हल्का से रिपोर्ट मंगवाया जाना भी उचित नही समझा। इस कारण भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय चलने योग्य नही है काबिले खारिज है। अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय मे विक्रय की गई भूमि का नामान्तकरण नही खोलने तथा सुनवाई का अवसर दिये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को कोई सुनवाई का अवसर नही दिया। इस कारण भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी ने उक्त विक्रय पत्र को शुन्य व निरस्त घोषित करवाने के लिए माननीय न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश कम सख्या 18 जयपुर महानगर प्रथम सांगानेर मे वाद पत्र कर रखा है। अधिनिस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलार्थी को तब हुई तब अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की नकल दिनांक 21/7/23 निकलवाई इस प्रकार जानकारी से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है फिर भी विवाद निवारण हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम की प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत की जा रही है।

अतः अपील मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14/02/2020 बाबत नामान्तरण सख्या 619 ग्राम कपुरावाला तहसील सांगानेर को निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी के नाम से नामान्तकरण खोले जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 बावजूद तामिल उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध दिनांक 18.07.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

बहस वकील अपीलार्थी [illegible] सुनी गई। दौराने अपीलार्थीगण अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हु[illegible] निवेदन किया कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय [illegible] दिनांक 14/02/2020 बाबत नामान्तरण सख्या [illegible] तहसील सांगानेर को निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी के नाम से ना[illegible]तकरण खोले जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:39:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

बहस अपीलार्थी अधिवक्ता पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर अपील अपीलन्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 619 दिनांक 14.02.2020 वाके ग्राम कपूरावाला तह0 सांगानेर को खारिज किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि सिविल न्यायालय मे चैक अनादरित का प्रकरण निरस्तारण होने तक विक्रय पत्र के आधार पर पुनः नामान्तकरण दर्ज नही करे।

निर्णय आज दिनांक ........................ को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:39:21 IST
Reason: SelfAttested